झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

–:संकल्पः–

राँची, दिनांक..........................

विषय :– **झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत वैसे उच्च वर्गीय लिपिक जो टंकक/दिनचर्या लिपिक के पद पर मूल रूप से नियुक्त हैं को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता के दायित्व से मुक्त करने के संबंध में।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 4447/दिनांक 27.07.10 के द्वारा झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010 प्रवृत है। उक्त नियमावली के नियम–5 में राज्य सरकार के सभी विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में टंकक/विपत्र लिपिक/लेखापाल/रोकड़पाल/दिनचर्यालिपिक के पदों एवं सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वेतनमान 4000–100–6000 के कोई पद को अधिकृत बल के रूप में सम्मिलित किया गया है।

उक्त नियमावली के नियम–4 में उपरोक्त सभी पदों को वेतनमान के आधार पर नामित किया गया है। अपुनरीक्षित वेतनमान 4000–6000, पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन 2400 के पद धारकों को उच्च वर्गीय लिपिक एवं अपुनरीक्षित वेतनमान 3050–4590, पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन– 1900 के पदधारकों को निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में नामित किया गया है।

2. वर्तमान में उच्च वर्गीय लिपिक पदनाम से नामित पदधारक पूर्व में टंकक/विपत्र लिपिक/लेखापाल/रोकड़पाल/दिनचर्या लिपिक इत्यादि रहे हैं। तत्कालीन नियमों के अनुसार टंकक एवं दिनचर्या लिपिकों के कर्त्तव्य में हिन्दी में टिप्पणी, प्रारूपण एवं प्रतिवेदन तैयार करना सन्निहित नहीं है। अतः टंकक एवं दिनचर्या लिपिकों को हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने से विमुक्त रखा गया है। तत्संबंधी दिशा–निदेश बिहार सरकार राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 146 दिनांक 10.06.1977 एवं 1854, दिनांक 17.11.1987 द्वारा निर्गत है।

3. सेवा गठन के पश्चात उच्च वर्गीय लिपिकों का कर्त्तव्य अबतक अलग से निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक के साथ दिनचर्या लिपिकों एवं टंककों के संवर्ग में समाहित हो जाने से उच्च वर्गीय लिपिकों के संदर्भ में हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता स्पष्ट हुई, क्योंकि रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक के कर्त्तव्यों में हिन्दी में टिप्पणी, प्रारूपण एवं प्रतिवेदन तैयार करना सन्निहित है।

4. यह स्पष्ट होता है कि दिनचर्या लिपिक एवं टंककों को हिन्दी टिप्पण प्रारूपण उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं था। अतः उन्हें दिनांक 26.07.2010 के पूर्व तक हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने का प्रावधान नही था। सेवा गठन के पश्चात् अब उनसे हिन्दी टिप्पण प्रारूपण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा रही है, जबकि अधिकांश उच्च वर्गीय लिपिक सेवानिवृत्ति के समीप हैं। साथ ही स्नातक योग्यताधारी उच्च वर्गीय लिपिक झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत सहायक कोटि में प्रोन्नति/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के पात्र भी हो जाते हैं।

5. कार्मिक विभाग, बिहार के पत्र संख्या 1854, दिनांक 17.11.1987 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि दिनचर्या लिपिकों को कार्य संपादन के क्रम में टिप्पणी लिखने एवं प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में दिनचर्या लिपिकों को हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। इस संवर्ग

के कर्मियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति के पश्चात् अगर कार्य संपादन में टिप्पणी लिखने एवं प्रारूप बनाने की आवश्यकता है, तो उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो जायेगा।

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उच्च वर्गीय लिपिकों को निम्नलिखित दो कोटियों में विभक्त करने का निर्णय लिया गया,

क) स्नातक योग्यताधारी उच्च वर्गीय लिपिक सहायक कोटि में प्रोन्नति/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के पात्र होते हैं। अतः स्नातक योग्यताधारी वैसे उच्च वर्गीय लिपिक, जो सहायक कोटि में प्रोन्नति चाहते हों, उन्हें कार्मिक विभाग, बिहार के पत्र संख्या 1854, दिनांक 17.11.1987 की अपेक्षानुसार हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

ख) स्नातक योग्यताधारी अथवा इससे न्यून योग्यताधारी वैसे उच्च वर्गीय लिपिक, जो पूर्व में, अर्थात झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010, के प्रवृत होने के पहले , दिनचर्या लिपिक अथवा टंकक के पद पर नियुक्त हुए है तथा सहायक कोटि में प्रोन्नति नहीं चाहते हों, उन्हें कार्मिक विभाग, बिहार के पत्र संख्या 1854 दिनांक 17.11.1987 की अपेक्षानुसार हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

7. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:— 12/लि0से0—22—64/2012 का0—1230/राँची, दिनांक 10/02/2016

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची का राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कृपया इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

सरकार के सचिव।